न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–28/2022

श्रीप्रकाश दुधानी.....वादी

बनाम

ओमप्रकाश दुधानी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
11.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक 23.08.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 11.11.2024 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि वादी सुरत, गुजरात में रहता है। जिसके कारण भुलवश कुछ भूमि जो वादी के पूर्वजों द्वारा बेच दी गयी थी, उनको वादपत्र के मद सं0–02 से हटाना है तथा मद सं0–03 में चल संपति का व्योरा भूलवश दिया गया है, जिसे भी वादपत्र से विलोपित करना है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बिना मूल दस्तावेज के दाखिल किया गया था क्योंकि सारे कागजात प्रतिवादी सं0–01 के कब्जें में था जिसे वादी ने किसी तहर प्राप्त किया है। जिसके कारण वादपत्र के मद सं0–02 की भूमि के स्थान पर दी गई भूमि को जोडा जाय। संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। अतः आवेदनानुसार वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन पर मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–28/2022

श्रीप्रकाश दुधानी.....वादी

बनाम

ओमप्रकाश दुधानी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 11.11.2024	लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादी द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 23.08.2023 मो0–2000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा प्रतिवादीगण को भी स्वत्रंतता होगी की वह वादपत्र में संशोधन के परिपेक्ष्य तक प्रतिवाद पत्र में अगर आवश्यक समझें तो संशोधन कर सकेगा। वाद दिनांक 03.12.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	